बिहार सरकार
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

अपर मुख्य सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में दिनांक–14.07.2021 को आयोजित राज्यस्तरीय बैंकर्स समिति की उप समिति उद्योग के बैठक की कार्यवाही :–

उपस्थिति :– (संलग्न)।

SIPB :-बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति–2016 इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति–2021 तथा ऑक्सीजन उत्पादन प्रोत्साहन नीति, 2021 तथा उसके अंतर्गत स्थापित होने वाले उद्योगो को दिये जाने वाले रियायतों/अनुदान की जानकारी उपस्थित बैंक प्रतिनिधियों को दी गई। SIPB अनुमोदित ईकाईयों को त्वरित ऋण स्वीकृति हेतु उद्यमियों एवं MSME प्रक्षेत्र के बैंको के साथ समन्वय हेतु मासिक बैठक आयोजित करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन SIPB/SLBC एवं संबंधित बैक)

ii. बुनकर मुद्रा योजना :– निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम के द्वारा बुनकर मुद्रा योजना की संक्षिप्त जानकारी दी गई। उनके द्वारा बताया गया कि इस योजना में वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मार्जिन मनी, क्रेडिट गारंटी एवं ब्याज अनुदान ऋणी बुनकरों को उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु पंजाब नेशनल बैंक को नोडल बैंक बनाया गया है। वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अनुदान राशि पंजाब नेशनल बैंक को उपलब्ध करायी जाती है। पंजाब नेशनल बैंक इस अनुदान राशि को उन बैंकों को उपलब्ध कराती हैं, जो प्रधानमंत्री बुनकर मुद्रा योजनान्तर्गत स्वीकृति एवं विमुक्ति प्रदान करते है। वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अनुदान राशि के अनुश्रवण के लिए एक पोर्टल तैयार किया गया है,

बुनकर मुद्रा योजना के दिशा–निर्देश का व्यापक प्रचार–प्रसार बुनकरों एवं बैंकों के बीच करने का निदेश दिया गया। (अनुपालन हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय, पंजाब नेशनल बैंक/राज्यस्तरीय बैंकर्स समिति)

बुनकर मुद्रा योजनार्न्गत वित्तीय वर्ष 2021–22 में कुल 263 आवेदन पत्र विभिन्न बैंक शाखाओं में ऋण स्वीकृति/भुगतान हेतु अग्रसारित किया गया है। बैंकों से अनुरोध है कि महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्रों द्वारा प्रेषित आवेदन पत्रों का प्राप्ति रसीद उपलब्ध कराने का निदेश बैंक शाखा प्रबंधकों को दिया जाय, ताकि बैंको में प्रेषित आवेदन पत्रों का अनुश्रवण किया जा सके।

(अनुपालन SLBC एवं सभी बैंक)

iii. स्टैण्ड अप इंडिया :– राज्यस्तरीय बैंकर्स समिति से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020–21 में कुल 1838 बैंक शाखाओं द्वारा इस योजनान्तर्गत ऋण उपलब्ध कराया गया जिसमें 261 अनुसूचित जाति, 58 अनुसूचित जनजाति एवं 1145 महिला उद्यमी है। बैठक में उपस्थित दलित इन्डस्ट्रीज एसोशिऐशन के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि बैंको द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आवेदको को लक्ष्यानुसार ऋण उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है।

संयोजक राज्यस्तरीय बैंकर्स समिति को सभी बैंकों से डाटा संग्रहित करने निदेश दिया गया साथ ही सभी बैंको से वित्तीय वर्ष 2021–22 लक्ष्यानुसार ऋण स्वीकृति एवं भुगतान करने का अनुरोध किया गया।

(अनुपालन SLBC एवं सभी बैंक)

iv. **मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति/जनजाति/अति पिछड़ा वर्ग, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना एवं मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना** :–इन योजनाओं के अंतर्गत आवेदन करने हेतु आवेदको को प्रोपराईटरशीप, पार्टनरशीप, एल0एल0पी0 एवं प्रा0लि0 कम्पनी के तहत ईकाई के नाम से चालू खाता खोलकर ऑनलाईन पोर्टल पर अपलोड करना होता है। आवेदकों द्वारा प्रोपराईटरशीप इकाई के नाम से चालू खाता खोलने में कठिनाई की शिकायत किया जा रहा है।

संयोजक, राज्यस्तरीय बैंकर्स समिति द्वारा बताया गया कि आवेदको के पास इकाई के नाम से KYC Document नहीं रहने के कारण परेशानी हो रही है, जिसपर बैकों के साथ विस्तृत चर्चा की गयी एवं निर्णय लिया गया कि ऑनलाईन आवेदन करते समय आवेदक के नाम से चालू खाता खोलकर अपलोड करे एवं ऋण/अनुदान की स्वीकृति के उपरान्त इकाई के नाम से चालू खाता आवेदक द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें राशि का भुगतान की जाएगी।

(अनुपालन तकनीकी विकास निदेशालय, SLBC एवं सभी बैंक)

कृ0प0उ0

v. विविध जनशिकायत :—उद्योग निदेशक द्वारा बताया गया कि मुख्यमंत्री ई—डैश बोर्ड/भारत सरकार के CPGRAMS पोर्टल एवं अन्य विविध माध्यमों से प्राप्त बैंकों में लंबित 51 परिवाद पत्रों की सूची बैंकों को अग्रसारित किया गया है। बैंकों से अनुरोध है कि लंबित परिवाद पत्रों का निष्पादन प्रतिवेदन यथाशीघ्र उपलब्ध कराया जाय।

संयुक्त सचिव, वित्त विभाग द्वारा बैंको से पी0एम0ई0जी0पी0, मुद्रा योजना एवं MSME अंतर्गत वित्त पोषण से संबंधित परिवाद पत्रों का ससमय निष्पादन करने का अनुरोध किया गया। साथ ही उनके द्वारा बताया गया कि **"जनता के दरबार में मुख्यमंत्री"** कार्यक्रम के अंतर्गत भी बैंकों से संबंधित आनेवाली शिकायते का शीघ्र निस्तारण अपेक्षित है।

(अनुपालन उद्योग निदेशालय, SLBC एवं सभी बैंक)

बैंको से राज्य मे उद्योग के विकास हेतु आगे आने का अनुरोध किया गया।

अंत में सधन्यवाद बैठक की समाप्ति की गयी।

ह0/—

अपर मुख्य सचिव,
उद्योग विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक—09/उ0नि0/विविध/**SLBC Sub Committee**/बैठक—01—2021 2760 पटना, दिनांक 29.7.21

प्रतिलिपि :—सभी संबंधित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

2. आई0टी0 प्रबंधक, उद्योग विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं सभी संबंधित को ई—मेल के माध्यम से भेजने हेतु प्रेषित।

29/7/21

अपर मुख्य सचिव,
उद्योग विभाग,
बिहार, पटना।

29.7.21

RANJAN KUMAR (SLBC MEETING) 67